आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

बधाई संदेश

भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाँठ 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

आज हम अपने प्रिय भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त का यह दिन हम सभी के लिए अत्यधिक खुशी, गौरव और उल्लास का पर्व है। इस अवसर पर हम उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं, जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप, भारत वर्तमान में एक उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है और समस्त विश्व को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक विशेषताओं से परिचित करवा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम, सभी अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन और कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' हम सभी के लिए प्रतिबद्धता के साथ स्वयं को राष्ट्र और जनसेवा के प्रति समर्पित कर देने का एक अवसर है। आइए, हम सभी प्रण करें कि राष्ट्र निर्माताओं द्वारा स्थापित सिद्धांतों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हुए हम निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देंगे और इसकी सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे।

आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगाँठ 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' की बहुत–बहुत शुभकामनाएँ।

जय हिंद।

गिरीश 04.8.22

(गिरीश कठपालिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 59456-656/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022

दिनांक 04 AUG 2022

निम्नलिखित को सूचना एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व व दक्षिण–पश्चिम जिला, दिल्ली, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली (संलग्नकों सहित) (इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को आप अपने संबद्ध न्यायिक जिलों में परिचालित करवाएँ)।
2. समस्त विद्वान प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली।
3. श्री संजीव जैन, सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर; श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केन्द्रीय, तथा श्री हेम राज, सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, अति. सत्र न्यायाधीश, केन्द्रीय, जिला न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी (केन्द्रीय जिला), तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व व दक्षिण–पश्चिम जिला, दिल्ली।
8. पेशकार, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में।
9. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
10. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स, इस निर्देश के साथ कि इसे जिला न्यायालय, दिल्ली की वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें।

शैल जैन 04/08/22
(शैल जैन)
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला,
जिला न्यायालय, दिल्ली।